न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर।

अपील संख्या 9/2020 (जीसीएमएस नम्बर 2020/00009)

1. रामचरण पुत्र ब्रजलाल जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. विक्रम पुत्र महीलाल
2. करणसिंह पुत्र महीलाल
3. लक्ष्मणसिंह पुत्र महीलाल
4. निरंजन पुत्र महीलाल
5. ओमप्रकाश पुत्र महीलाल
   समस्त जाति जाट निवासीयान ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर।
6. भू आंवटन सलाहकार समिति कठूमर जरिये उप जिलाधीश कठूमर

—असल रेस्पोडेन्ट

7. प्रहलाद पुत्र रतन जाति जाट निवासी ग्राम बीजला तहसील कठूमर जिला अलवर राज0।

— तरतीबी रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व 1956 विरुद्ध न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर निर्णय दिनांक 01.06.2016 जिसके द्वारा मिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 (4) भू आंवटन अधिनियम 1970 बेजा तोर पर खारिज किया गया

उपस्थित–

1. श्री मूलचन्द चौधरी, वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पों.नं. 6 की ओर से

निर्णय

दिनांक –20.06.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के निर्णय दिनांक 01.06.2016 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 1046 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर का अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 सलाहकार समिति कठूमर जर्ये उप जिलाधीश कठूमर है जो आराजी अप्रार्थी संख्या 6 भू–आंवटन सलाहकार समिति कठूमर जर्ये उप जिलाधीश कठूमर द्वारा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 के पिता महीलाल पुत्र धुन्धा जाट ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर को दिनांक 04.01.1977 कृषि प्रयोजनार्थ भू आंवटन नियम 1970 के नियम 15 के अन्तर्गत आंवटित की गई थी। उक्त भूमि का आंवटन योग्य नहीं होना, भूमि आंवटन के सम्बन्ध में कोई उद्घोषणा जारी नहीं किया जाना, आंवटी का वादग्रस्त भूमि पर कभी कोई कब्जा नहीं होना एवं उक्त आंवटन नियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जाना व्यक्त करते हुये प्रार्थी श्री रामचरण पुत्र ब्रजलाल द्वारा विवादगस्त भूमि के आंवटन आदेश दिनांक 04.01.1977 को निरस्त करवाये

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाने हेतु अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के यहां की गयी। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर ने अपने निर्णय दिनांक 01.06.2016 से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) सारहीन होने के कारण अस्वीकार करने के आदेश पारित किये गये हैं।

3. अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर के उक्त निर्णय दिनाक 01.06.2016 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामचरण पुत्र ब्रजलाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.06.2016 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधिनस्थ न्यायालय का तहत रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. वकील अपीलान्ट ने बहस के दौरान अपील के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट प्रहलाद ने विद्वान अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14(4) राज0 भू0 आंवटन रूल्स कृषि भूमि आंवटन नियम 1970 इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 1046 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता महीलाल पुत्र धुन्धा जाट को गलत तरीके से दिनांक 04.01.1977 को चुपचाप तरीके से रेस्पोडेन्ट सं. 6 द्वारा अलोटमेन्ट किया गया था। जिस की जानकारी मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट को नहीं हो सकी तथा उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट व तर. रेस्पोडेन्ट का पुराना कब्जा है तथा अलोटी महीलाल का स्वर्गवास एक साल पूर्व हुआ है। अलोटी की मृत्यु के बाद रेस्पोडेन्टान संख्या 1 लगायत 5 ने मिन अपीलान्ट व तर0 रेस्पो0 से उक्त आराजी अलोट होना बता कर कब्जा हटाने एवं जबरन कब्जा करने बाबत कहा जिस पर हमने इंकार कर दिया तो असल रेस्पोडेन्टान सं. 1 लगायत 5 द्वारा उपखण्ड अधिकारी कठमूर के यहां बेदखली का वाद दायर किया तथा जानकारी होने पर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया जो विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बेजा तोर पर खारिज कर दिया। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 अथवा उनके पिता महीलाल पुत्र धुन्धा जाट का आराजी खसरा नम्बर 1046 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सीटाहेडा तहसील कठूमर पर कभी भी आंवटन से पूर्व अथवा बाद में आंवटन किसी प्रकार का कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है तथा ये आराजी मुतनाजा से गैरवास्ता एवं गैर काबिज शख्स है तथा वर्तमान में भी असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 का कोई कब्जा काश्त नहीं है। असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1लगायत 5 के पिता महीलाल को जो आंवटन किया गया है वो विधिविरूद्ध किया गया है। जबकि खाली जमीन ही कानूनन आंवटन की जा सकती है तथा आंवटन के बाद आंवटी को कब्जा दिया जाता है लेकिन आंवटी का मौके पर किसी प्रकार को कोई कब्जा कभी नहीं रहा है। आंवटित आराजी का रकबा छोटा रकबा होने के कारण आंवटित की गई है तथा आंवटित आराजी खसरा नम्बर 1046 के पास ही मिन अपीलान्ट व असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता व तरतीबी रेस्पोडेन्ट की खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 1045 स्थित है जिस आराजी खसरा नम्बर 1045 में असल रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगायत 5 का पिता का 1/8 हिस्सा का खातेदार था तथा शेष भाग के अन्य खातेदार है जिस आराजी का किसी प्रकार से कोई बंटवारा नहीं हुआ तथा उक्त आराजी में सभी खातेदार संयुक्त रूप से अपने अपने हिस्सेनुसार मौके पर काबिज है। जिस स्थिति में आराजी खसरा नम्बर 1046 एक मात्र महीलाल को आंवटित किया जाना कतई न्याय संगत नहीं था जबकि उक्त आराजी खसरा नम्बर 1046 भी सही को बहिस्सा बराबर आंवटित की जानी चाहिए थी इस प्रकार यह बखूबी साबित था कि उक्त आराजी बमिल्लत

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

आंवटित की गई है। आराजी मुतनाजा को आंवटन करने से पूर्व अप्रार्थी संख्या–6 द्वारा न तो कोई प्रोफोलेशन जारी किया ना ही उक्त आंवटन आदेश की कोई किसी प्रकार से सार्वजनिक सूचना गांव में प्रकाशित करायी तथा उक्त आंवटन बाबत कोई सूचना सरपंच, प्रधान आदि तक को नहीं दी गई तथा तमाम कार्यवाही राजधानी होकर गैरकानूनी तरीके से आम आदमी की गैरमौजूदगी एवं गैरजानकारी में की गई है। कानूनन आंवटित भूमि पर आंवटन के प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत हिस्से पर एवं दूसरे वर्ष सालिम आंवटित भूमि पर काश्त किया जाना अनिवार्य होता है लेकिन आंवटन आदेश से आज तक आराजी मुतनाजा पर कभी भी अप्रार्थीगण अथवा उनके आवंटी पिता ने कभी भी विवादित आराजी पर काबिज रहकर काश्त नही किया है और ना ही उनका कोई कब्जा रहा है। जिससे भी आंवटन स्वतः ही निरस्त हो जाता है तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्ट व तरतीबी रेस्पोडेन्ट का कब्जा अरसे दराज से आज वर्तमान तक होना साबित है लेकिन इस तथ्य पर भी विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नही किया गया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील स्वीकार की जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2016 निरस्त किया जावे तथा भू–आंवटन सलाहकार समिति कठूमर जरिये उप जिलाधीश कठूमर का आंवटन आदेश दिनांक 04.01.1977 बाबत आराजी खसरा नम्बर 1046 रकबा 10 बिस्वा वाके ग्राम सिटाहेडा तहसील कठूमर निरस्त फरमाया जावे।

6. वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 6 ने बहस के दौरान अपीलान्ट की अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट के पिता को वर्तमान में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है जिससे जाहिर है कि आंवटी द्वारा आंवटन शर्तों की पालना करने पर उसे खातेदारी दी गई है। ऐसे में प्रार्थी किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का हकदार नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) खारिज फरमाया जावे। अतः यह अपील खारिज कर न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.06.2016 को यथावत रखा जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में भूमि आंवटन नियम 14 (4) के प्रार्थना पत्र को निर्णित करने से पूर्व कब्जे संबंधी कोई साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात को रिकार्ड पर नहीं लिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा यह अंकित करते हुये कि पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का की रिपोर्ट से जाहिर है कि रेस्पोडेन्ट के पिता को वर्तमान में खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है, आंवटी द्वारा आंवटन शर्तों की पालना करने पर उसे खातेदारी दी गई है, प्रकरण को निर्णित कर दिया गया है जबकि गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान करने का मुख्य आधार कब्जा काश्त ही नियमानुसार होना अपेक्षित होता है। अतः प्रकरण रिमाण्ड किया जाना न्यायोचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थीगण की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में निम्न

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

बिन्दुओं पर विस्तृत जॉच की जाकर तदानुसार पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित कर विधि सम्मत कार्यवाही की जावे :–

1. मौका कमीशनर (तहसीलदार) से विवादित भूमि के कब्जे की मौका रिपोर्ट प्राप्त की जावे। यदि आवंटी का कब्जा पाया जाता है तो नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावे।
2. यदि आंवटी का कब्जा काश्त नहीं पाया जाता है तो उक्त भूमि को राजकीय घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावे।
3. यदि किसी अन्य पक्ष का कब्जा पाया जाता है तो उसे बेदखली की कार्यवाही के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाकर भूमि को कब्जेराज लिया जावे।

(डॉ0 प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर।